रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 1987/चैत्र 12, 1909
No. 175] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 1987/CHAITRA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं. 158/87-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 369(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, प्रवेधन रिगों और उनके फालतू पुर्जों को, जब उनका ग्रामीण जल प्रदाय परियोजना के लिए भारत में आयात किया जाए,—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से; और

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्:—

(i) प्रवेधन रिगों को, किसी विदेशी सरकार और भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय करार के अधीन मुफ्त भेंट किया गया है;

(ii) किसी द्वितीय वर्ष में आयात किए गए उक्त फालतू पुर्जों का सी आई एफ मूल्य इस अधिसूचना के अधीन आयात की गई प्रवेधन रिगों के कुल सी आई एफ मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

(iii) आयातकर्ता निकासी के समय भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-सचिव से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करता है कि आयात की गई प्रवेधन रिग और उक्त फालतू पुर्जों ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए अपेक्षित है और उक्त फालतू पुर्जों की दशा में, इस आशय का कि आयात उपरोक्त शर्त (ii) में विनिर्दिष्ट मूल्य सीमा के भीतर है ।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1988 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 346/16/86-टी आर.यू.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 2nd April, 1987

NOTIFICATION

No. 158/87-CUSTOMS

G.S.R. 369(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts drilling rigs and spares thereof, when imported into India for rural water supply projects, from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon, under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975); and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon, under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely:—

(i) the drilling rigs are gifted free of cost under a bilateral agreement betweeen a foreign Government and the Government of India ;

(ii) the C.I.F value of the said spares imported in a financial year does not exceed 10 per cent of the total C.I.F. value of the drilling rigs imported under this notification ; and

(iii) The importer at the time of clearance produces a certificate from an officer not lower in rank than a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Works and Housing to the effect that the drilling rigs and the said spares imported are required for rural water supply projects and in the case of the said spares, to the effect that the import is within the value limit specified in condition (ii) above.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1988.

[F. No. 346/16/87-TRU]

अधिसूचना

सं. 159/87-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 370(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1987 के खण्ड 95 के उपखण्ड (1) के अधीन जो खण्ड अन्तिम कर ग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखती है, के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 113/87-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं. 205 का लोप किया जाएगा; और

(ख) क्रम सं. 292 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"293 सं. 158/87-सीमा शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1987" ।

[फा. सं. 346/16/87-टी. आर. यू.]

टी. जयरामन, अवर सचिव

NOTIFICATION

No. 159/87-CUSTOMS

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 95 of the Finance Bill, 1987, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 113/87-Customs, dated the 1st March, 1987, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) Sl. No. 205 shall be omitted ;

(b) after Serial No. 292 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely:—

"293 No. 158/87 Customs dated the 2nd April, 1987".

[F. No. 346/16/87-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987